दिनांक 04.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 06/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0: Social Media के माध्यम से डीएलएड (Diploma in Elementary Education) परीक्षा पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य अलीगढ़ से गिरफ्तार।

दिनांकः 03–11–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को Social Media {telegram/WhatsApp} के माध्यम से डीएलएड (Diploma in Elementary Education) परीक्षा अक्टूबर 2025 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के पेपर लीक कर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेने वाले संगठित गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को जनपद अलीगढ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र बलभद्र सिंह निवासी नगला हरिकरना भरतपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ उ0प्र0, शिक्षा बीएड उम्र 25 वर्ष।

2– धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बलभद्र सिंह निवासी नगला हरिकरना भरतपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ उ0प्र0, षिक्षा बीटीसी, एमए उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी–

1– 02 अदद मोबाइल फोन। (सिम कार्ड सहित)

2– 01 अदद लैपटाप।

3– 01 अदद एटीएम कार्ड।

4– 01 अदद पैन कार्ड।

5– 03 अदद आधार कार्ड। (एक कूटरचित)

6– 201 वर्क स्क्रीनषाट (डी0एल0एड0 परीक्षा अक्टूबर 2025 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्र लीक करने एवं यूपीआई पर लिये पेमेंट की डिटेल से सम्बन्धित)

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– स्थानः इगलास से मथुरा रोड पर एक कि0मी0 आगे मुरसान रोड तिराहा इगलास जनपद अलीगढ दिनांकः 03–11–2025 समयः 23:30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि संगठित गिरोहो द्वारा डीएलएड (Diploma in Elementary Education) परीक्षा अक्टूबर 2025 में सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न टेलीग्राम ग्रुपों के माध्यम से डी0एल0एड0 परीक्षा अक्टूबर 2025 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में प्रश्न पत्रों को परीक्षा से पूर्व आउट कराकर प्रश्नों के उत्तर के साथ देने का वादा किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर विश्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 03–11–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त संगठित गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को थाना क्षेत्र इगलास से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार ने पूछताछ में बताया कि हम दोनो सगे भाई हैं। मैने पिछले वर्ष बीएड किया है व मेरा भाई बीटीसी एवं एम0ए0 कर एक निजी कालेज में डी0एल0एड0 का शिक्षक है। सोशल मीडिया टेलीग्राम के माध्यम से कुछ दिन पूर्व मै कथित नितेश पाण्डेय से जुड गया। नितेश पाण्डेय द्वारा बताया गया कि वह डी0एल0एड0 परीक्षा अक्टूबर 2025 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में प्रश्न पत्रों को परीक्षा से पूर्व उपलब्ध करा सकता है। दिनांक 26–10–2025 को मैने डी0एल0एड0 2025 के एक टेलीग्राम ग्रुप में यह वायरल कर दिया कि मै उपरोक्त परीक्षा के प्रश्नपत्र परीक्षा से कुछ समय पूर्व उत्तर के साथ उपलब्ध करा सकता हूॅ। जिसको चाहिए मेरे यूपीआई में 3500 का पेमेंट डाल दें। मै उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में एड कर दूंगा जिसमें परीक्षा के प्रश्नपत्र परीक्षा से कुछ समय पूर्व उत्तर के साथ उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद कई परीक्षार्थियों द्वारा मेरे यूपीई पर पेमेंट किया गया, जिसके बाद मैने नितेश पाण्डेय उपरोक्त से डी0एल0एड0 परीक्षा से संबन्धित पेपर की बात की। नितेश पांण्डेय द्वारा परीक्षा के समय से पूर्व डी0एल0एड0 परीक्षा पेपर मेरे टेलीग्राम मे दिनांक 31–10–2025 को, सोशल साइंस, गणित व विज्ञान तथा दिनांक 03–11–2025 को, संस्कृत व हिन्दी को भेज दिया गया। जिसको मैने अपने भाई धर्मेन्द्र कुमार से साल्व कराया है। सोशल मीडिया पर अपना नाम बदल कर (प्रतिरूपण कर) परीक्षार्थियों से अपने यूपीआई–nxg55krishna@axl में पेमेंट लिया। पेमेन्ट करने वाले अभ्यर्थियों को मैंने अपने टेलीग्राम के माध्यम से डी0एल0एड0 पेपर वाले ग्रुप में एड कर दिया था एवं परीक्षा शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले उसी ग्रुप में मैने प्रश्न–पत्र व साल्व पेपर भेज दिया था। मेरे मोबाइल में अन्य कई लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से चैट कर साल्व पेपर उपलब्ध कराये गये है। मेरे यूपीआई में सैकडों की संख्या में परीक्षार्थियों द्वारा पेमेंट किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उपरोक्त ने पुष्पेन्द्र कुमार की बातों का समर्थन करते हुए बताया कि मै बीटीसी एवं एम0ए0 कर एक निजी कालेज में डी0एल0एड0 का शिक्षक हूॅ। रूपये कमाने की लालच में आकर मैने अपने भाई के कहने पर डी0एल0एड0 परीक्षा अक्टूबर 2025 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में प्रश्न पत्रों को परीक्षा से पूर्व जो मेरे भाई पुष्पेन्द्र कुमार ने मुझे दिया था को साल्व किया, जिसको पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा परीक्षा से पूर्व सोषल मीडिया के माध्यम से परीक्षार्थियों को भेजकर यूपीआई में पेमेंट लिया गया। जिसमे से पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा मुझे लगभग रू 50,000/ यूपीआई के माध्यम से दिया गया है।

अभियुक्तों द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरोह के विरूद्ध थाना इगलास जनपद अलीगढ में मु0अ0सं0 708/2025 धारा 112 बीएनएस 2023 एवं 13 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनो का निवारण अधिनियम–2024 तथा धारा–66 (डी) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

जनपद हरदोई/थाना पाली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.11.2025 को थाना पाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दमगढा जाने वाले रास्ते पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त वी0पी0 उर्फ कौशल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पाली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वी0पी0 उर्फ कौशल निवासी ग्राम कुरसेली थाना पाली जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

● 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 03.11.2025 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पालीवाली पार्क से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शशिकांत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हरीपर्वत पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शशिकांत निवासी मराठा बस्ती, खुशहाली का नगला थाना शाहगंज, आगरा।

जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी के 20 लाख रूपये कीमत की पीली—सफेद धातु के आभूषण

● चोरी के 01 लाख 82 हजार 420 रूपये नगद

● 01 मोबाइल फोन

● घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद

दिनांक 03.11.2025 को थाना सफीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णानगर के पास से अभियुक्त बादल को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 लाख रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 01 लाख 82 हजार 420 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.11.2025 को थाना सफीपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सफीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बादल निवासी सफियापुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–चोरी के 20 लाख रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 01 लाख 82 हजार 420 रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद बलिया/थाना बैरिया

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख 75 हजार 200 रूपये कीमत के 270 पेटी अवैध शराब**
- **01 पिकअप वाहन बरामद**

दिनॉकः 04.11.2025 को थाना बैरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त चन्दन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख 75 हजार 200 रूपये कीमत के 270 पेटी अवैध शराब, 01 पिकअप वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बैरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्दन निवासी ग्राम तपनी थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

बरामदगी

1—लगभग 16 लाख 75 हजार 200 रूपये कीमत के 270 पेटी अवैध शराब।

2—01 पिकअप वाहन।

- **जनपद फतेहपुर/थाना चाँदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना चाँदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ऋषि को सश्रम आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सोनवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विमल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बागपत/थाना बालैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बालैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना कैसरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कैसरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोनू उर्फ मो0नजीब को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————